

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14-02-2021

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 08 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 06 वारण्टी नाम पता 1 – सोभे पुत्र जयनारायण निवासी हरिहरपुर थाना महुली 2 – बेचन पुत्र रामलाल निवासी हरिहरपुर थाना महुली 3 – रामज्ञा पुत्र सुन्दर निवासी बनपुरवा थाना महुली 4 – शिवशरण पुत्र रामदुलारे ग्राम बरपतवा थाना महुली 5 – पूर्णमासी पुत्र रामदुलारे 6 – राहुल गुप्ता पुत्र पूर्णमासी निवासी गण दिकतौली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम जितेन्द्र पुत्र तुलसी निवासी शिवमोहनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम सिद्धू निषाद पुत्र पप्पी निषाद निवासी झुगिया लेडुआ महुली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता सुग्रीव पुत्र जीतन केवट थाना सिंगहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा गिरफ्तार कर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 13 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत से इवेन्ट संख्या 05853 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थान बखिरा को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी उमेश कुमार, हो0चा0 करम हुसैन

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 75000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनो से 75000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।